HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 19th May, 2006

No. Web- 9 /H. A. 6/2003/S. 59/2006.– The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedules B and C appended to the said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web-site www.haryanatax.com together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified:-

Draft Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), –

1 in Schedule B, –

(i) in serial number 1, under heading “C. Tractor Drawn Agricultural Implements”, in item 11, for sub-item (i), the following sub-item shall be substituted, namely:-

1	2
“(i)	Rims”;

(ii) for serial number 3 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely: –

1	2
“3	All goods sold to the serving military personnel, ex-servicemen, parents of deceased unmarried service officers and widow of servicemen by the Canteen Store Department direct or through the authorised canteen contractors or through unit run canteens.”;

(iii) after serial number 28 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely: –

1	2
“28A	Gur, Shakkar and Jaggery”;

(iv) for serial number 30 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
“30A	Human Blood including blood components like, platelets, red blood corpuscles (RBC), plasma, anti hemophilic factors, albumin and gamma globulin”;

(v) after serial number 60 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added at the end, namely:-

1	2
“61	Crudely tanned leather (called “half tanned leather”) usually tanned by villagers in villages (other than that tanned in a factory)”;

2. in Schedule C, -

(i) after serial number 16 and entry thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
“16A	Buttons
16B	Bricks made principally of fly-ash (with fly-ash content of more than 50%)”;

(ii) serial number 33 and entry thereagainst shall be omitted;

(iii) after serial number 39 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely;-

1	2
“39A	Honey”;

(iv) after serial number 48 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
“48A	Katha”;

(v) for serial number 58 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
“58	Paper and plastic cups, paper pulp moulded trays”;

(vi) after serial number 71 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
“71A	Pump sets below 5 Horsepower”;

(vii) after serial number 92 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
“92A	Toys excluding electronic toys”;

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 मई , 2006

संख्या वैब 9 / ह0अ0 06 /2003/ धा0 59/ 2006.– संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर, या इसके पश्चात् सरकार , संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़, द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगीः–

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में,

1 अनुसूची ख में,–

(i) क्रम संख्या 1 में "इ. ट्रैक्टर चलित कृषि यन्त्र" शीर्ष के नीचे मद 11 में, उप मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

1	2
"(i)	रिमज";

(ii) क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

1	2
"3.	सभी माल, जो सेवारत सैनिक कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों, मृतक अविवाहित सैनिक अधिकारियों के माता पिता तथा सैनिकों की विधवाओं को कैन्टीन भण्डार विभाग द्वारा सीधे या प्राधिकृत कैन्टीन ठेकेदारों के माध्यम से या यूनिट चालित कैन्टीनों के माध्यम से बेचे जाएं" ;

(iv) क्रम संख्या 28 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"28क	गुड़, शक्कर तथा जैगरी";

(v) क्रम संख्या 30 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः,–

1	2
"30.	मानव रक्त जिसमें शामिल है रक्त संघटक जैसे कि बिम्बाणु , लाल रक्त कणिका (आर बी सी), प्लाविका, एंटी हेमोफिलिक फैक्टरस, एलबूमिन तथा गामा ग्लोबूलिन";

(vi) क्रम संख्या 60 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी, अर्थातः,–

1	2
"61	क्रूडली टैण्ड लैदर (कॉलड "हॉफ टैण्ड लैदर") जो आमतौर पर ग्रामिणों द्वारा गांव में टैण्ड किया जाता है (जो फैक्टरी में टैण्ड किया गया हो से भिन्न)" ;

2. अनुसूची ग में,–

(i) क्रम संख्या 16 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके साम ब्रुने प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:–

1	c
छभ्ठ६ ट	बटन्स
16ख	मुख्य रूप से फलाई–ऐश से निर्मित ईंटें (50 प्रतिशत से अधिक फलाई–ऐश मिश्रण सहित)";

(ii) क्रम संख्या 33 तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा;

(iii) क्रम संख्या 39 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"39क	शहद";

(iv) क्रम संख्या 48 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

1	2
"48क	कत्था";

(v) क्रम संख्या 58 तथा उसके समाने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,–

1	2
"58	कागज़ तथा प्लास्टिक के कपस, कागज़ के गुद्दे से बनी मोलडिड ट्रैज";

(vi)	क्रम संख्या 71 तथा उसके समाने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिख्ति क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टी रखी जाएगी, अर्थात्,–
1	2
"71क	पांच हार्स पावर से नीचे के पम्प सैट्स";

(vii)	क्रम संख्या 92 तथा उसके समाने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिख्ति क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टी रखी जाएगी, अर्थात्,–
1	2
"92क	इलैक्ट्रोनिक खिलौनो को छोड़कर खिलौने ";

एल.एस.एम. सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।